प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **46 / 2026** (अपील सूचना का अधिकार)

प्रताप सिंह राठौड़ पिता स्व. स्वरूप सिंह राठौड़ निवासीः 94, हनुमान कॉलोनी, नजदीक ओल्ड चुंगी नाका, फतेहपुरा, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बड़गावं, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 25/03/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 46 / 26 / 285–86 दिनांक 10.02.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बड़गांव द्वारा जरिये पत्रांकः सू.अ. / 2005 / 26 / 629 दिनांक 09.03.2026 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील के संबंध में आवेदक द्वारा कार्यालय हाजा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत वांछित सूचना का संबंध कार्यालय हाजा से नहीं होकर कार्यालय तहसीलदार बड़गांव से होने से आवेदक का आवेदन तहसीलदार बड़गांव को प्रेषित करते हुए आवेदक को इसकी सूचना कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक 1907–1908 दिनांक 18.12.2025 से प्रेषित की गई। अतः प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा से संबंधित नहीं होने से प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 1907–1908 दिनांक 18.12.2025 से सूचित कर दिया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बड़गांव द्वारा न्यायालय में प्रेषित प्रत्युत्तर के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब / सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गयी है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25-03-26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर